लीलादेवी - नारायण मु.नं. 114/2004

17-1-22

पत्रावली पेश। प्रकरण में वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया की अधिनिस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर के निर्णय दिनांक 31.05.2004 में यह अंकित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया गया कि अभिलेख के आधार पर वादी की खातेदारी खाबित नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। श्रीमान से निवेदन है कि अपील इसी स्टेज पर रिमांड करते हुए निर्देशित किया जावें कि अधिनस्थ न्यायालय में संसोधित वाद पत्र की स्वीकृति प्रदान करें।

वकील अपीलांट की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद कथन स्पष्ट नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा वादी अपीलांट ने प्रकरण इसी स्तर पर रिमांड कर संसोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर द्वारा दावा संख्या 235/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2004 इसी स्तर पर अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी से संसोधित वाद पत्र प्राप्त कर विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। वादी अपीलांट निर्णय की तिथि से 3 माह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष संसोधित वाद पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर